न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या :– 04 / 2019 निर्णय दिनांक :– 28.04.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. रामराज पुत्र श्री रंगलाल जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. शवराज पुत्र श्री रंगलाल जाति माली उम्र 45 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. मोहनी पुत्री रंगलाल जाति माली उम्र 52 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. मनभर पुत्री रंगलाल जाति माली उम्र 47 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. कमला पुत्री रंगलाल जाति माली उम्र 49 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. छोटी बेवा रंगलाल जाति माली उम्र 68 वर्ष निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. शिवराज पुत्र जगन्नाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. रतनी बेवा जगन्नाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. सत्यनारायण पुत्र हरनाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. शंकर उर्फ बबलू पुत्र हरनाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. पसमा बेवा हरनाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. लाड़ पुत्री हरनाथ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. रामदेव पुत्र कजोड़ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. बाबू पुत्र कजोड़ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. छीतर पुत्र कजोड़ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
11. फूलचंद पुत्र कजोड़ जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

28.4.25

12. सुगना पुत्र हुकमा जाति माली उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
13. तहसीलदार देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थीगण —

— उपस्थिति —
श्री महावीर सिंह राठोड़
श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री रामनिवास तुनगारिया
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5
श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7
श्री अरविन्द दाधीच
अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 9 ता 11
एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
प्रतिवादीगण संख्या 8
प्रतिवादी संख्या 12 जवाब बन्द

वाद उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय / आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नं. 1 ता 12 के पूर्वज गिरधारीलाल माली व गिरधारी माली के पुत्र मांग्या, हुकमा, भीमा की साबिक खसरा नम्बर 1032 रकबा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 1045 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। दौराने सेटलमेन्ट साबिक खसरा नम्बर 1032 के नये खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.08 है0 व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.05 है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 1045 के नये खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.31 है0 व खसरा नम्बर 2283 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 है0 कायम किये गये है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है। जो प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही उनके द्वारा किये गये पारिवारिक बंटवारे के आधार पर हाल खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.08 है0 व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.05 है0। जिसमें से खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.08 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.05 है0 में से 0.02 है0 कुल 0.10 है0 भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज–काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.03 है0 पर अप्रार्थीगण नं. 8 ता 11 अपने पूर्वजो के समय से काबिज है तथा खसरा नम्बर 2266 रकबा 0.31 है0 व खसरा नम्बर 2283 रकबा 0.10 है0 भूमि पर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 7, काबिज है। प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 4 में वर्णित हिस्से अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 12 काबिज है तथा उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। परन्तु प्रार्थीगण के पूर्वज अनपढ़ व अशिक्षित होने के कारण अपने पूर्वजो की मृत्यु के बाद उनके हिस्से की भूमि को अपने नामान्तकरण नही खुलवा सके और आज भी उक्त भूमि खसरा नम्बर 2109 व 2110 वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो पाई है। वर्तमान में प्रार्थीगण खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.08 है0 व खसरा नम्बर 2110 रकबा 0.02 है0 भूमि कुल 0.10 है0 भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण के हिस्से की पैतृक कब्जाशुदा भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज नहीं होने व मांगीलाल के वारिसान कालू, जगन्नाथ व हरनाथ के नाम होने तथा इनकी मृत्यु होने के बाद

28.4.25

उनके वारिसान अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 स्वंय होने से राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकन करवाकर अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 आये दिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त भूमि खसरा नम्बर 2109 व 2110 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है तथा भूमि को अपने नाम दर्ज भूमि को हस्तान्तरित कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। जबकि अन्य भूमि बाबत् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य कोई विवाद नहीं है। जबकि उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है। इस कारण खसरा नम्बर 2109 व 2110 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम खातेदारी की उद्घोषित की जाकर प्रार्थीगण को उक्त भूमि का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 2109 व 2110 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर अन्य को हस्तान्तरित करना चाहते है। इस कारण अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2109 व 2110 कुल रकबा 0.10 है0 या इसके किसी भी भू–भाग को अपने नाम दर्ज नही करवाये, किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा पांबद रहे।अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण नं. 1 ता 5 को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण की कब्जे–काश्त की भूमि हाल आराजी खसरा नम्बर 2109 व 2110 कुल रकबा 0.10 है0 जो वाके तनग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, वे स्वयं जरिए एजेन्ट, नौकर–चाकर या अन्य किसी के माध्यम से भूमि अथवा इसके किसी भी भू–भाग को अपने नाम दर्ज नही करवाये, अपने नाम दर्ज करवाकर किसी अन्य को रहन, दान, बेचान, वसीयत विक्रया या अन्य किसी प्रकार से हस्तांरित नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा पांबद रहे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास तुनगारिया ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 मे वाद एंवम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना स्वीकार हैं तथा शेष इबारत गलत होने से स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है। प्रार्थीगण को सफलता की कोई सम्भव नही हैं। तथा सुविधा का सन्तुलन व प्राईमा पेशी केस भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल नही है, सिद्ध नहीं है।प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 वर्णित किये गये साबिका खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनना स्वीकार है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 वर्णित किया गया गलत हैं स्वीकार नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 वर्णित किया गया गलत हैं स्वीकार नही हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण का चरण नं. 6 वर्णित किया गया गलत हैं स्वीकार नहीं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का चरण चरण नं. 7 वर्णित किया गया गलत है स्वीकार नहीं हैं। मूलायजा हो विशेष आपतियां साबिका खसरा नम्बर 1032 रकबा 11 बीस्वा 10 बिस्वांशी, साबिका खसरा नम्बर 1045 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके देवलीगांव गिरधारीमाली के पुत्र मांग्या, हुकमा, भीमा में से मात्र कालू रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ पुत्र मांग्या (मांगीलाल) की खातेदारी भूमि रही है। खातेदार कालू नाऔलाद मृत्यु होने पर उक्त भूमि रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ को विरासत हो चुकी है तथा रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसमें रूघनाथ (जगन्नाथ), के वारिस अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 तथा हरनाथ के वारिसान अप्रार्थीगण 4 ता 7 है। हुकमा के तीन पुत्र कमशः कजोड, सुगना, रंगलाल है। जिसमे प्रार्थीगण रंगलाल के वारिसान है तथा कजोड के वारिसान अप्रार्थीगण 8 ता 11 हैं। सुगना अप्रार्थीगण नम्बर 12 स्वंय है। उक्त

20.4.25

वाद वर्णित भूमि का प्रार्थीगण एंवम अप्रार्थीगण 8 ता 12 का कोई लेना देना सम्बंध नही है नही कभी सम्बध नही रहा है। उक्त भूमि को अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य हैं। हाल खसरा नम्बर 2109, 2110, 2266, 2283 को अप्रार्थीगण 1 ता 7 ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि से प्रार्थीगण एवंम अप्रार्थीगण नम्बर 8 ता 12 का कोई सम्बध नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 2109, 2110, जिसके साबिका खसरा नम्बर 1032 मी0 है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 की खातदारी भूमि है जिस पर जब तक अप्रार्थीगण पिता/पति कमशः रूघनाथ (जगन्नाथ) व हरनाथ जिन्दा रहे काबिज काश्त करते रहे। तथा उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि को अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 के पिता रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ का भाई कालू है जो नाऔलाद मृत्यु होने से उसका नाम उक्त भूमि में विरासत अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 के पिता कमश रूघनाथ (जगन्नाथ), व हरनाथ को विरासत में प्राप्त हो चुकी है। रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ की भी मृत्यु हो चुकी है। जिनके वारिसान अप्रार्थीगण 1 ता 7 है। उक्त भूमि पर आज भी अप्रार्थीगण 1 ता 7 काबिज काश्त है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 7 की पुस्तैनी भूमि है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि पर उद्घोषणा खातेदारी करवाने के अधिकारी नही है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि पर अप्रार्थीगण 1 ता 7 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है। इस कारण प्रार्थीगण निषेधाज्ञा के आड में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 7 को अपनी ही भूमि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने अधिकारी प्रार्थीगण नही हैं। इस कारण अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज करने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जायें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल ने वकालतनामा, पेश कर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में केवल प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है, शेष जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है, ओर स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टिया सिद्ध नहीं है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल व सिद्ध नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया डी खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 जिस तरह से वर्णित है, गलत है, और स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 जिस तरह वर्णित किया है, स्वीकार है प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 जिस तरह से वर्णित है, गलत है ओर स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 जिस तरह से वर्णित किया है गलत है ओर स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 8 जिस तरह से वर्णित किया है, गलत है, और स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 जिस तरह से वर्णित किया है गलत है, **विशेष आपत्तियां** साबिका खसरा नम्बर 1032 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 1045 रकबा 2 बीघा 11 बिश्वा वाकै देवली गांव गिरधारीलाल के बुत्र माग्या हुकमा, भीमा में से कालू, रूघनाथ (जगन्नाथ), हरनाथ पुत्र मांग्या (मांगीलाल) की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में रही है। खातेदार कालू नाऔलाद फौत हो जाने पर उसके विधिक वारिसान एवं सगे भ्राता जगन्नाथ हरनाथ के नाम भूमि आ चुकी है व जगन्नाथ हरनाथ की भी मृत्यु हो चुकी है, जगन्नाथ के विधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 व हरनाथ के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 है। हुक्मा के तीन पुत्र कजोड़, सुगना, रंगलाल है. जिसके प्रार्थीगण रंगलाल के वारिसान है व कजोड़ के वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 11 है। सुगना अप्रार्थीगण संख्या 12 है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से प्राथीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 12 का कोई लेना—देना व सबंध नहीं

28.4.25

है। उक्त भूमि पर 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 व 1/2 हिस्से पर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। गलत प्लीडिगं के आधार पर प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पा खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 व अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 3 का हाल खसरा 2109, 2110, 2266, 2283 रकबा क्रमशः 0.08 है0, 0.05 है0, 0.31 है0, 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.54 है0 वाकै ग्राम देवली गांव में स्थित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 8 लगायत 12 का कोई संबंध नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की पुश्तेनी भूमि है जब तक अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता/पति जगन्नाथ हरनाथ जिन्दा रहे तब तक उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार रहे तथा उनकी मृत्यु उपरान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 उनके 1/2 हिस्से पर तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 7 उनके 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त भूमि से प्रार्थीगण का कोई लेना देना व संबंध नहीं होने से प्रार्थीगण किसी प्रकार की से निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण संख्या 9, 10 व 11 की ओर से अधिवक्ता अरविन्द द्वारा जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार हैः— प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। प्रार्थी को उसके पूर्वजो से प्राप्त हुई है एवं आज भी प्रार्थी द्वारा कब्जेकाश्त है । उक्त आराजजीयात मौखिक बंटठवारे में प्रार्थी के हिस्से में आई हुई आराजीयात है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। वर्तमान में प्रार्थी ही काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 स्वीकार है। प्रतिवादीगण 1 ता 5 प्रार्थी के कब्जेकाश्त में बाधा कारित करते आ रहे है। प्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जावे। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 से 9 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं हैं प्रार्थी की अधियाचना अ, ब, स स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार पाबंद किया जावे तो प्रतिवादीगण 9 ता 11 को कोई आपति नहीं है।

अप्रार्थीगण संख्या 12 का जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के पूर्वज अनपढ व अशिक्षित होने से यह भूमि प्रार्थीगण के नाम नहीं लग पाई जबकि हिस्से अनुसार काबिज काश्त है परन्तु वर्तमान में यह भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के नाम होने से वे इस भूमि को खुर्द बुर्द कर सकते है और प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जेकाश्त पर से बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसलावाद पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 6 ता 7 ने ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित भूमि से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 8 ता 12 का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 काबिजकाश्त चले आ रहे है तथा उक्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 की पुश्तैनी भूमि जिस पर वादी को वाद उदघोषणा खातेदारी करवाने का कोई अधिकार नहीं हैं अतः उक्त भूमि में टी. आई खारिज किया जावे।

20.4.15

अधिवक्ता प्रार्थी ने रिब्टल में कथन किया कि पुराना राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अवलोकन से ही स्पष्ट हो रहा है कि विवादित भूमि पैतृक है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा बनता हैं। अतः टी. आई कन्फर्म की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दूओ पर निर्णय करना आवश्यक हो जाता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2070–73 में कालू रूघनाथ हरनाथ पि. मांगीलाल कोम माली ख. नं. 2109, 21010, 2266, 2283 के खातेदार के रूप में दर्ज है।

भूप्रबन्ध विभाग का मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार साबिक ख. नं. 1032 मि0 रकबा 11 बिस्वा 10 बिश्वांसी से हाल ख. नं. 2109 रकबा 0.08 है0 व ख. नं. 2110 रकबा 0.05 है0 व साबिक ख. नं. 1045 व 1045 मि. रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा से हाल ख. नं. 2266 रकबा 0.31 है0 व ख. नं. 2283 रकबा 0.10 है0 व साबिक ख. नं. 1587 मी. रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा से हाल ख. नं. 4228 रकबा 0.36 है0 बनना दर्शित है।

खतोनी जमाबन्दी सन् फसली 1359 में मांगीलाल वल्द गिरधारी कोम माली के नाम साबिक ख. नं. 1032 मि0 रकबा 11 बिस्वा 10 के अलावा अन्य ख. नं. भी दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वर्तमान मे तो विवादित भूमि के खातेदार कालू रूघनाथ हरनाथ पि. मांगीलाल कोम माली है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की पुश्तैनी आराजियात बताया है। विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 की पुश्तैनी आराजियात नहीं है और विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त नहीं है, इसको साबित प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 द्वारा दस्तावेजो के माध्यम से नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में विवादित भूमि पर कब्जेकाश्त व पुश्तैनी रूप से अधिकार का निर्धारण वाद में साक्ष्य व सबूत के माध्यम से हो सकेगा। वर्तमान स्थिति में गम्भीर विवाद कारित न हो, इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

सुविधा का सन्तुलनः–प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर व प्रथम दृष्टया मामले का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीयागण विवादित आराजी को पैतृक साबित वाद में साक्ष्य व सबूतो के माध्यम से हो सकेगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने से पाया जाता है ।

अपूरणीय क्षतिः– इस बिन्दू पर पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस व उक्त दोनो बिन्दूओ के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि यदि अप्रार्थी नं. 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो अपूरणीय क्षति केवल प्रार्थीगण को ही होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष साबित होता है।

इस प्रकार से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के मूलभूत सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार

28.4.25

योग्य से प्रार्थीगण के पक्ष में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.01.2019 को ताफैसलावाद कन्फर्म (सुनिश्चित) किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर वाद के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली